

संचिका सं०-7/सदर एवं अनु०अस्प०-23-01/2026-27-356 (78)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से.,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक-02/07/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो सदर/ जिला अस्पतालों यथा मुजफ्फरपुर एवं मधेपुरा में संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों तथा इंटर्नशीप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातको को छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 1,04,36,000/- (रुपये एक करोड़ चार लाख छत्तीस हजार) मात्र व्यय निमित्त आवंटन की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-10(1) दिनांक-08.01.2021, संकल्प संख्या-776(1) दिनांक-29.11.2023, संकल्प संख्या-472(1) दिनांक-05.07.2023 एवं विभागीय पत्रांक-03(1) दिनांक-03.01.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो सदर/ जिला अस्पतालों यथा मुजफ्फरपुर एवं मधेपुरा में संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों तथा इंटर्नशीप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातको को छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 1,04,36,000/- (रुपये एक करोड़ चार लाख छत्तीस हजार) मात्र व्यय निमित्त आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल, विपत्र कोड-20-2210-01-110-0013 अंतर्गत छात्रवृत्ति/ वजीफा (34-01) मद में बजट उपबंध/ अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक होंगे ।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी सुसंगत प्रपत्रों के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

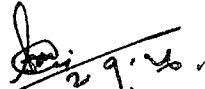
(5) राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि० (2) दिनांक-17.4.1998 एवं संकल्प सं०-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

- 2 -

- (7) वित्त विभाग द्वारा किये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र **BTC Form 42A** पर तैयार करते हुए नियमानुसार व ससमय महालेखाकार के कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संख्या-7/सदर एवं अनु0 अस्प0-23-01/2026-27 के पृ0¹⁹/टि0 पर प्राप्त है।
- (9) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- (10) यह मात्र स्वीकृतिदेश है, एतदसंबंधी आवंटनादेश अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।
- (11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,


(शमु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 7/सदर एवं अनु0अस्प0-23-01/2026-27-356(78) स्वा0, पटना, दिनांक:- 02/09/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी, / संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ / संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

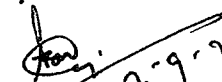
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07 एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

विभिन्न सदर/ जिला अस्पतालों में संचालित डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों तथा इंटरनशिप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातको को छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु निम्नवत जिलों को आवंटित की जाने वाली राशि-

क्रमांक	संस्थान का नाम	छात्रवृत्ति/ वजीफा (34-01) मद में आवंटित राशि (रुपयें में)
1	मुजफ्फरपुर	65,00,000
2	मधेपुरा	39,36,000
	कुल	1,04,36,000

(रुपये एक करोड़ चार लाख छत्तीस हजार) मात्र


सरकार के अपर सचिव